UPRN010059452022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2862/2022

राजेश कुमार उम्र लगभग 32 वर्ष वयस्क पुत्र राम स्वरूप,

निवासी टड़ा उखर्रा , बेटियापुर, भरथना, थाना भरथना, जिला इटावा उवप्र० ..आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्षी

25–11–2022

आवेदक/अभियुक्त राजेश कुमार की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–251/2021, अन्तर्गत धारा–419,420,467,468,471 भा०दं०सं०, थाना–सिकन्दरा जिला कानपुर देहात के मामलें में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा राजेश कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह की ओर से एक लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक जिला कानपुर देहात में इस आशय की दी गयी कि वादी मुकदमा बैंक लोन (ऋण) लेने के लिए एस०बी०आई० सिकन्दरा बैंक से सम्पर्क किया तो बैंक वालों ने बताया कि उसकी सिविल पर पहले से ही लोन है , उसे लोन नहीं मिल सकता है तो उसने कहा कि उसने कोई लोन (ऋण) नहीं लिया है, जिसके सम्बन्ध में वादी ने जब अपनी सिविल चैक करवायी तो पता चला कि उसके सिविल पर पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति राजेश कुमार पुत्र राम स्वरूप द्वारा फर्जी दस्तावेज पहचान पत्र अवैध तरीके से तैयार कर वादी के पहचान पत्र (वोटर कार्ड) का नम्बर WKL2022515 पर अपना नाम राजेश कुमार पुत्र राम स्वरूप दर्ज करवा कर एजेन्ट प्रवेन्द्र सिंह कुशवाह हिन्दूजा लीलेण्ड फाइनेन्स लि० 124/0/64 नियर पोपुलर धर्म कांटा गोविन्द नगर कानपुर व मैनेजर हिन्दुआ लीलेण्ड फाइनेंस लि० 27 ए डबलपड इण्डस्ट्रियल स्टेट गुडी चेन्नई व शाखा प्रबन्धक हिन्दुआ लीलेण्ड फाइनेंस एवं अन्य लोगों से सम्पर्क कर कूट रचित दस्तावेज तैयार करके एकाउन्ट नम्बर UPLNEW00075 रूपया 3,00,000/–का लोन प्रोडक्ट मोडल ट्रैक्टर आर एक्स 42 उपरोक्त लोन का स्टेटमेंट एकाउन्ट हिन्दूजा लीलेण्ड फाइनेंस से निकलवाने पर आवेदक को ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियुक्तगण ने ईएमपी कोड 18980 एम्पलोइयर नेम प्रवेन्द्र सिंह व राजेश कुमार निवासी टड़ा उखर्रा पोस्ट बेर भरथना जनपद इटावा मोबाइल नम्बर 7830483303 गारण्टर रवि सिंह निवासी गढ़ी मण्डांग पोस्ट विण्डवा चकरन नगर इटावा यू०पी० मोबाइल नं०–8477831566 कान्टेक्टर नम्बर UPLNEW00075 कस्टमर कोड यूपी 00023238 कान्टेक्ट डेट 27–01–2014 प्रोडेक्ट मोडल टैक्टर आर एक्स 42 इंजन नम्बर 16059 व्हीकल नम्बर यू०पी० 75 टी/3262 चैसिस नम्बर 3263617 पर 3,00,000/– रूपया लोन अंकित है, जिसकी कापी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जबकि वादी ने ऐसा कोई लोन नहीं लिया है और न ही कोई ट्रैक्टर लिया है। उपरोक्त लोन के बावत वादी को जब जानकारी हुई तो वादी को काफी मानसिक वेदना हुई , जिसके सम्बन्ध में वादी

ने उक्त कम्पनी के मैनेजर व अन्य कर्मचारियों को दिनांक –29–07–2021 को नोटिस भी दिया तथा मेल के जरिए भी अवगत कराया, लेकिन उक्त कम्पनी के कर्मचारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी स्थिति में उक्त मुल्जिमानों ने जालसाजी व धोखा धड़ी करके कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से लोन वादी की वोटर आई डी कार्ड का नम्बर अंकित कर कवाया है।

जमानत हेत मुख्य रूप से आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आधार लिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसने कोई अपराध नहीं किया है । आवेदक /अभियुक्त दिनांक–23–09–2022 से जेल में है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

मैने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य पक्ष से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ० के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना एवं सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा अपने तहरीरी प्रार्थना पत्र में बैंक से लोन लेने के लिए एस०बी०आई० सिकन्दरा से सम्पर्क करना बताया गया है , किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त बैंक से ऋण लेने हेतु आवेदन की तिथि , समय व वर्ष उल्लिखित नहीं किया है तथा बैंक के किस अधिकारी ने वादी को बताया कि उसे लोन नहीं मिल सकता है , क्योकि उसकी सिविल पर पहले से ही लोन है, उस बैंक अधिकारी का नाम उल्लिखित नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि वादी ने अपनी सिविल कब चेक करायी , उसकी न तो कोई तिथि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है और न ही किस माध्यम से अपनी सिविल चेक करवायी , उसका कोई उल्लेख है । यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक ने वादी से किसी प्रकार पहचान पत्र आदि कागजात प्राप्त कर लिये और वो कागजात फर्जी दस्तावेज वादी को कैसे मालूम हुए, इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इस प्रकार अभियोजन की कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहा है और वादी मुकदमा भी कृषि कार्य करता है, वर्तमान समय में वादी पुलिस विभाग में कार्यरत है । वादी व आवेदक के खेत अगल बगल है , आवेदक के खेत में अच्छी पैदावार व वर्ष 2008 में हिन्दूजा लीलेण्ड फाइनेंस से फाइनेंस कराकर एक ट्रैक्टर क्रय किया था और समय से उपरोक्त ट्रैक्टर के किस्त जमा करता रहा । वादी ने अभियुक्त की आर्थिक सम्पन्नता को देखकर ईष्यावश उसे झूठे मुकदमें में फसां दिया है । यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उसके एकाउन्ट नम्बर से कब तीन लाख रूपये का लोन लिया गया तथा वादी ने एक नोटिस दिनांक –19–07–2021 को दिये जाने का उल्लेख किया है, परन्तु अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नोटिस का कोई उल्लेख नहीं किया है कि उक्त नोटिस किस बावत और किसे दी गयी । आवेदक ने वर्ष 2008 में अपना ट्रैक्टर लिया था और उक्त ट्रैक्टर का समस्त लोन समय सीमा में जमा कर दिया गया । आवेदक के हस्ताक्षर आधार कार्ड पर नहीं है तो किस बिना पर वादी ने आवेदक के विरूद्ध रिपोर्ट अंकित करायी है । यह भी तर्क दिया गया है कि कथित घटना दिनांक –27–01–2014 से 24–11–2021 लगभग 8 वर्ष बाद रिपोर्ट लिखवायी गयी है, उपरोक्त देरी का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि जहां तक धारा–420 भा०दं०सं० का अपराध होने की बात कही गयी है, उक्त धारा का कोई संघटक रिपोर्ट में अंकित नहीं है। धारा –468 भा०दं०सं० के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि धारा–464 व 465 भा०दं०सं० में वर्णित संघटको का अभाव होने के कारण उपरोक्त धारा आवेदक के विरूद्ध सृजित नहीं होती है। धारा –467 भा०दं०सं० का भी कोई संघटक

आवेदक के विरूद्ध नहीं बनता है , क्योकि आवेदक के आधार कार्ड व अन्य कागजातों पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। जहां तक धारा–471 भा०दं०सं० का प्रश्न है,के सम्बन्ध में आवेदक ने न तो कोई जाली दस्तावेज प्रस्तुत किया है । उपरोक्त धाराओं में बेईमानी व धोखाधड़ी का तत्व होना आवश्यक है, जिनका मुकदमें में अभाव है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का उपरोक्त मुकदमें के अलावा कोई भी आपराधिक इतिहास किसी भी थाने में नहीं है और न ही उसे धारा – 107/116 दं०प्र०सं० में निरूद्ध ही किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक एक मात्र घर का कमाने वाला व्यक्ति है तथा उसके पिता व उसकी पत्नी व बच्चों की जिम्मेदारी है , उसके पिता वृद्ध एवं हृदय रोग , सांस की बीमारी व अस्थमा व ब्लड प्रेशर के मरीज है। अतः जमानत की याचना की गयी ।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के नाम से उसके वोटर आई डी कार्ड पर अपना नाम लिखवाकर ट्रैक्टर हेतु 3,00,000/–रूपये लोन लिया गया है , जिसकी जानकारी वादी को तब हुई जब वह एस०बी०आई० सिकन्दरा बैंक में स्वयं लोन लेने के लिए सम्पर्क किया तो , उसका सिविल चेक करने पर बैंक मैनेजर द्वारा बताया गया कि उसके नाम से पहले से लोन लिया गया है , अतः उसे लोन नहीं मिल सकता है । उक्त मामलें की छानबीन करने पर वादी को जानकारी हुई कि आवेदक द्वारा हिन्दुजा लीलेण्ड फाइनेंस लिमिटेड के एजेन्ट प्रवेन्द्र सिंह कुशवाहा व मैनेजर हिन्दुआ लीलेण्ड ,शाखा प्रबन्धक हिन्दुजा , रवि सिंह व अन्य लोग नाम पता अज्ञात के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी के नाम पर तीन लाख रूपये का लोन लिया गया है । यह भी तर्क दिया गया है कि उपरोक्त मामलें में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आवेदक /अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है । अपराध गम्भीर प्रकृति का है । अतः जमानत निरस्त किए जाने की याचना की गई ।

केस डायरी के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के वोटर आई डी कार्ड नम्बर पर अपना नाम व फोटो लगाकर वादी के एकाउन्ट पर ट्रैक्टर हेतु तीन लाख रूपये का लोन लिया जाना बताया गया है । आवेदक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना दिनांक-27-01-2014 की होना बतायी गयी है , जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना के लगभग 8 वर्ष बाद दिनांक-24-11-2021 को दर्ज करायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने में हुए इतने लम्बे विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है । आवेदक /अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उस पर यह आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा वादी के वोटर आई डी पर लोन स्वीकार कराया गया है, किन्तु वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादी का वोटर आई०डी० आदि कागजात आवेदक को किस प्रकार प्राप्त हुए और वादी को कैसे ज्ञात हुआ कि आवेदक द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाये गये है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–23–09–2022 से जेल में है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं दर्शाया गया है।

अतः केस के तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वाद के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राजेश कुमार को उसके द्वारा मुब 1,00,000/–(एक लाख) रूपये

का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि का दो प्रतिभू , सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उन्हें निम्नलिखित शर्त पर जमानत पर मुक्त किया जाए–

1– आवदेक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेंगे कि विचारण न्यायालय में वह भविष्य मे साक्ष्य की तिथि पर साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित रहने पर वह स्थगन की मांग नहीं करेगा तथा इस शर्त का उल्लंघन होने पर इसे जमानत का दुरूपयोग माना जायेगा तथा न्यायालय इनके विरूद्ध विधिनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

2– आवदेक विचारण न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा , अन्यथा बिना किसी सम्यक कारण के व्यतिक्रम की स्थिति में न्यायालय उसके विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा –229 ए के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा ।

3– जमानत के व्यतिक्रम की स्थिति में आवेदक के विरूद्ध दं०प्र०सं०की धारा 82 के अन्तर्गत आदेशिका जारी होने पर यदि आवेदक न्यायालय में उपस्थित रहने में विफल रहता है तो न्यायालय उसके विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 174– ए के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

4– आवेदक विचारण प्रारम्भ होने के समय,आरोप विरचन एवं दं०प्र०सं०की धारा –313 के अन्तर्गत पृच्छा अंकित करने की तिथि एवं निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा । यदि न्यायालय किसी भी स्तर पर यह पाता है कि आवेदक जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित हो रहा है तो उस स्थिति में न्यायालय जमानत के व्यतिक्रम का मामला मानते हुए आवेदक के विरूद्ध विधिनुसार कार्यवाही करेगा ।

दिनांक–25–11–2022

(लाल चन्द्र गुप्ता)
सत्र न्यायाधीश,
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
I.D.No.UP.5635

Digitally signed by LAL CHANDRA GUPTA
Date: 2022.11.25 17:31:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court